न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
दावा संख्या 471/16
फैसला दिनांक:–16.04.18

1. रामस्वरूप खटीक पुत्र मूलचन्द खटीक
2. गणेश पुत्र गोमा

समस्त जाति खटीक नि0 महला तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. सुवा पुत्र कालू
2. रामचन्द पुत्र कालू
3. राधाकिशन पुत्र कालू
4. रामेश्वर पुत्र नन्दा
5. कल्याण पुत्र नन्दा
6. बंशीलाल पुत्र नन्दा
7. सोनीदेवी पुत्री बोदूराम पत्नि हनुमानलाल
8. पांचीदेवी पुत्री बोदूराम पत्नि हनुमानलाल
9. कजोड़ पुत्र सुवा
10. रूपनारायण पुत्र मांगू
11. दानाराम पुत्र मांगू
12. बंशीराम पुत्र मांगू
13. पुसाराम पुत्र मांगू
14. धापूदेवी पत्नि मांगू

समस्त जाति बलाई नि0 श्योसिंहपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

15. मैनेजर यूको बैंक शाखा फुलेरा जिला जयपुर
16. तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक
17. उप पंजीयक महोदय सांभरलेक जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 एक ही पूर्वज कालू के वंशज है तथा प्रतिवादी सं0 7 लगा0 14 एक ही पूर्वज रामला के वंशज है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 व 7 लगा0 14 के संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 306 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम श्योसिंहपुरा प0ह0 शार्दुलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 का 1/8 हिस्सा है तथा इसी हिस्सें अनुसार स्थित व काबिज काश्त है इसके अतिरिक्त उक्त आराजी में प्रतिवादी सं0 7 लगा0 14 का संयुक्त 1/2 वां हिस्सा है तथा इसी हिस्सें के अनुसार प्रतिवादी सं0 7 लगा0 14 काबिज काश्त रहे है। उक्त आराजीयात में से प्रतिवादी सं0 7 लगा0 14 की आराजी को वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.03.15 को वादीगण को बेचान कर दिया तथा कब्जा काश्त वादीगण को करा दिया। वर्तमान में वादीगण उक्त आराजी के 1/2 हिस्सें पर तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/8 हिस्सा पर, प्रतिवादी सं0 2 का 1/8 हिस्सा पर, प्रतिवादी सं0 3 का 1/8 हिस्सा पर व प्रतिवादी सं0 4 लगा0 6 का 1/8 हिस्सा पर काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा जब अपना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.03.15 को नामान्तकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का शार्दुलपुरा को दिया

Scanned by CamScanner

गया तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त खातें में खातेदारी का हिस्सा दर्ज होने से नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक करने हेतु मना कर दिया, जिसके पश्चात् वादीगण ने तहसीलदार साहब सांभर से सम्पर्क किया तो उन्होनें भी इस खाते में खातेदारी के हिस्सें लगवाने व वादीगण का नामान्तकरण दर्ज करवानें हेतु न्यायालय में चारा जोरी करने हेतु कहा जिससे वह वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी ने दस्तावेज सूची के साथ संलग्न दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये तथा वादी रामस्वरूप के बयान करवाये गये। वकील वादीगण ओर शहादत पेश नहीं करना चाहता है इसलिए शहादत बन्द की गयी।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी खं0नं0 306, 246, जमाबन्दी ग्राम श्योसिंहपुरा तह0 फुलेरा संवत् 2070–73, 2029–33, 2011 से 2022, 2058 से 2061, 2054 से 2057, पर्चा सेटलमेन्ट की प्रति पेश कर रखी है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि आराजी ख0न0 306 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम श्योसिंहपुरा पटवार हल्का शार्दूलपुरा तह0 फुलेरा में है जिसकी खातेदारी जमाबंदी संवत 2029–33 व अन्य जमाबंदियों में खातेदारों की हिस्से दर्ज नहीं है जबकि संवत 2029–33 में खातेदार बोदू, मांगु, सुवा पुत्रान रामला व नंदा, रामचन्द्र, राधाकिशन व सुवा पिता कालू दर्ज है इस तरह से इस आराजी पर 1/2 हिस्सा रामला के वारिसों का व 1/2 हिस्सा कालू के वारिसों का है। रामला के वारिसों सोनी देवी, पांची देवी, कजोड, रूपनारायण, दानाराम, धापू देवी, बंशीराम, पूसाराम के द्वारा अपनी उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का समस्त हिस्सा वादीगण को जरिये बैचान पत्र दिनांक 16.03.15 के द्वारा बैचान कर दिया परन्तु तह0 फुलेरा द्वारा वादी के पक्ष में उपरोक्त बैचान पत्र के आधार पर नामान्तकरण नही दर्ज किया इसलिए उपरोक्त आराजी में रामला के वारिसों प्रतिवादी न0 7 लगा0 14 का दर्ज हिस्सा वादीगण के नाम घोषित किया जावें व उपरोक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 6 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगा0 14 के हिस्से को वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा घोषित कर रिकार्ड में अमल दरामद किया जायें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों व वादी के शपथ पत्र व जमाबंदी संवत 2029 से 2033 के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि आराजी ख0न0 306 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम श्योसिंहपुरा पटवार हल्का शार्दूलपुरा तह0 फुलेरा में प्रतिवादी संख्या 7 लगा0 14 सोनी देवी पुत्री बोदुराम, पांचीदेवी पुत्री बोदुराम, कजोड पुत्र सुवा, रूपनारायण पुत्र मांगु, दानाराम पुत्र मांगु, बंशीराम पुत्र मांगु, पुसाराम पुत्र मांगु, धापूदेवी पत्नि मांगू के समस्त हिस्से की जगह रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 16.03.15 के अनुसार क्रेता वादीगण के नाम खसरा नंबर 306 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा का 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार फुलेरा को प्रदान किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 16.04.18 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर टंकन करवाया गया। डिक्री पृथक से बनाई जावें।

(प्रभुदयाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलारा श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

रामस्वरूप वगै0 बनाम सुवा वगै0

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 471/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील श्री सुरेश कुमार शर्मा व मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षाकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि आराजी ख0न0 306 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम श्योसिंहपुरा पटवार हल्का शार्दूलपुरा तह0 फुलेरा में प्रतिवादी संख्या 7 लगा0 14 सोनी देवी पुत्री बोदुराम, पांचीदेवी पुत्री बोदुराम, कजोड पुत्र सुवा, रूपनारायण पुत्र मांगु, दानाराम पुत्र मांगु, बंशीराम पुत्र मांगु, पुसाराम पुत्र मांगु, धापूदेवी पत्नि मांगू के समस्त हिस्से की जगह रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 16.03.15 के अनुसार क्रेता वादीगण के नाम खसरा नंबर 306 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा का 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार फुलेरा को प्रदान किये जाते है।

....................................निज .... मुबलिग.. बाबत्.................. .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 04 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.................

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner